



2026:AHC-LKO:20180-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 666 सन 2026

उषा देवी

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद लखनऊ एवं 2
अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : जनैद्र कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 15

**माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ़
माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला**

1. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर एक रिट याचिका है, जिसमें याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 03.06.2025 को पारित आदेश द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत अपने दावे को इस आधार पर अस्वीकृत किए जाने से व्यथित है कि याचिकाकर्ता ने 449 दिनों की विलंबित अवधि के बाद अपना दावा प्रस्तुत किया था।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **श्रीमती सर्वेश देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य (रिट - सी संख्या 27527 / 2023)** मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया है।

4. उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने **गौतम यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य; 2020 (11) एडीजे 321** के मामले में प्रकाशित निर्णय पर विचार करने के बाद दोहराया कि उक्त योजना के तहत निर्धारित समय सीमा अनुचित और मनमानी है और यह अवधि 75 दिनों के बजाय तीन वर्ष होनी चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि योजना में निर्धारित समय सीमा, अर्थात् 75 दिनों के भीतर आवेदन न करने के परिणामों का कोई प्रावधान नहीं है।

5. हमारी राय में, उपर्युक्त योजना एक लाभकारी कानून होने के नाते, दावा करने की समयावधि उचित होनी चाहिए और यदि याचिकाकर्ता द्वारा उक्त दावा दाखिल करने में विलंब का पर्याप्त कारण बताया जाता है, तो उस पर कानून के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक है।

6. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने हमारे समक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय का **राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम गौतम यादव एवं अन्य; विशेष अनुमति अपील संख्या 7647 / 2021** का निर्णय प्रस्तुत किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति अपील को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए हैं:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“इस न्यायालय के दिनांक 02.07.2021 के आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 को 5 लाख रुपये का भुगतान कर दिया है और भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया है।

छह सप्ताह के भीतर जवाब देने योग्य नोटिस जारी किया जाए।

यद्यपि प्रतिवादी संख्या 1 को नोटिस भेजा जा रहा है, लेकिन उन्हें उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

इस बीच, आक्षेपित आदेश में यह निर्देश कि अस्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर दायर किए गए सभी दावों को परिसीमा के भीतर माना जाए, स्थगित रहेगा।”

7. यह ध्यान देने योग्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गौतम यादव (उपरोक्त)** मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित संपूर्ण आदेश पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि केवल उस निर्देश पर रोक लगाई है जिसमें यह कहा गया है कि अस्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर दायर किए गए दावों को परिसीमा के भीतर माना जाना चाहिए।

8. चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गौतम यादव (उपरोक्त)** मामले में परिसीमा अवधि को तीन वर्ष तक बढ़ाने के निर्देश पर रोक लगा दी है, इसलिए प्रत्येक मामले की तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जांच करनी होगी और यह निर्धारित करना होगा कि उक्त दावा दायर करने में विलंब का पर्याप्त कारण था या नहीं।

9. हमारी राय में, प्रतिवादी ने उक्त आवेदन दायर करने में विलंब के कारणों के संबंध में याचिकाकर्ता के तर्कों पर विचार नहीं किया और केवल इस आधार पर आदेश पारित कर दिया कि दावा विलंबित रूप से दायर किया गया था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. तदनुसार, आक्षेपित आदेश को **रद्द** किया जाता है और प्रतिवादी प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करे और उसके बाद दिनांक से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर तर्कसंगत आदेश पारित करे।
11. उपरोक्त निर्देशों के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

मार्च 19, 2026

अखिलेश/-

[न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला]

[न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ़]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।